

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

प्रारूप -6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)


सेवानिवृत्ति-आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत है को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर (सेवानिवृत्ति की तारीख) से सरकारी सेवा से कॉलम संख्या-5 की दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है-

क्र.स.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/ राबाउमावि)	विषय	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	श्री राम कुमार वर्मा, राउमावि डाबी बूंदी	हिन्दी	01.09.1957	31.08.2017
2.	श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा, राउमावि रत्नावता दौसा	हिन्दी	01.01.1958	31.12.2017
3.	श्रीमती सुलोचना प्रजापत, राबाउमावि दामोदर लाल सरावगी सालासर चुरू	हिन्दी	15.08.1957	31.08.2017

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याताओं के विरुद्ध आज तक -


- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-19 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(नथमल डिबेल)

आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/10908/सेवानिवृत्ति/हिन्दी/17-18/ दिनांक:-29/08/2017
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान
- संबंधित उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग
- संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी,
- संबंधित संस्था प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अंतिम अद्वैत प्रमाण पत्र जारी करें।
- संबंधित प्राध्यापक
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ
- निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर